[1][अध्याय VI-क

मुकदमेंवाजी के पूर्व सुलह और समझौता

22-क. परिभाषाएँ—इस अध्याय में एवं धाराओं 22 एवं 23 के प्रयोजनों के लिए जब तक कि प्रसंग अन्यथा अपेक्षा नहीं करता है—

(क) "स्थायी लोक अदालत" का अर्थ है धारा 22-ख की उपधारा (1) के अधीन संस्थापित एक स्थायी लोक अदालत।

(ख) "लोक उपयोगी सेवा" का अर्थ है, कोई यात्रियों के ले जाने या वायु सड़क एवं जल के द्वारा माल के ले जाने के लिए

(i) परिवहन की सेवा, या

(ii) डाक तार या दूरभाष की सेवा, अथवा

(iii) किसी संस्थापन (अधिष्ठान) के द्वारा जनता को शक्ति प्रकाश अथवा जल की आपूर्ति या

(iv) सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता की प्रणाली अथवा

(v) औषधालय या चिकित्सालय में सेवा, अथवा

(vi) बीमा सेवा,

एवं किसी सेवा को सम्मिलित करती है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में विज्ञप्ति के द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होना घोषित कर सकती है।

22-ख. स्थायी लोक अदालत का संस्थापन—(1) धारा 19 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए केन्द्रीय प्राधिकरण या जैसा भी मामला हो प्रत्येक राज्य प्राधिकरण विज्ञप्ति के द्वारा ऐसे स्थानों पर एवं एक या अधिक लोक उपयोगिता की सेवाओं के सम्बन्ध में ऐसी अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए एवं ऐसे क्षेत्रों के लिए जैसा कि विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, स्थायी लोक अदालत संस्थापित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित एक क्षेत्र के लिए संस्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत —

(क) एक व्यक्ति की होगी, जो एक जनपद न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश है या रहा है या उस जनपद न्यायाधीश की अपेक्षा श्रेणी में उच्चतर न्यायिक कार्यालय पर पदस्थ रहा है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा, एवं

(ख) दो अन्य व्यक्ति सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले केन्द्रीय सरकार के द्वारा नामित किए जाने है अथवा जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार केन्द्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन पर या जैसा भी मामला हो, राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त किया गया या जैसा भी मामला हो एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की अन्य शर्तों एवं निबन्धन एवं खण्ड (ख)

(561)

में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति गण ऐसे होंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है/का होगा—

22-ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान—(1) एक विवाद का कोई पक्षकार किसी न्यायालय के समक्ष विवाद के ले आने के पूर्व विवाद के निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत को एक आवेदन दे सकता है।

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को किसी विधि के अधीन एक असमाधेय अपराध के सम्बन्ध में किसी मामले के सम्बन्ध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

अग्रेतर बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को मामले में भी कोई अधिकारिता नहीं, होगी जहाँ संपत्ति का मूल्य विवाद में 10 लाख रु० से ज्यादा होता है।

बशर्ते की केन्द्रीय सरकार विज्ञप्ति के द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श में द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट 10 लाख रु० की परिसीमा को बढ़ा सकती है।

(2) स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1) के अधीन एक आवेदन कर देने के बाद कोई पक्षकार विवाद में किसी न्यायालय की अधिकारिता का आश्रय नहीं लेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन एक स्थायी लोक अदालत को एक आवेदन किया जाता है, यह —आवेदन के—

(क) प्रत्येक पक्षकार को अपने समक्ष एक लिखित वक्तव्य उसमें आवेदन के अधीन तथ्यों एवं विचार के स्वभाव का कथन करते हुए ऐसे विवाद में बिन्दुओं एवं विवाद्यकों का कथन करते हुए या ऐसे बिन्दुओं या विवाद्यकों जैसा भी मामला हो, के समर्थन में या विरोध में विश्वस्त आधारों का कथन करते हुए दाखिल करने का निर्देश करेगा, एवं ऐसा पक्षकार ऐसे कथन को किसी दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य से पूर्ण कर सकता है जो ऐसा पक्षकार ऐसे तथ्यों एवं आधारों के सबूत में समुचित समझता है एवं ऐसे दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य की एक प्रति के साथ ऐसे कथन की एक प्रति प्रेषित करेगा, यदि कोई हो, आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को।

(ख) आवेदन के पक्षकार को अपने समक्ष अतिरिक्त कथन को दाखिल करने की समझौता की कार्यवाही के स्तर पर अपेक्षा कर सकता है।

(ग) एवं इसके द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन के किसी पक्षकार से किसी दस्तावेज या कथन की अन्य पक्षकार को ऐसे पक्षकार को उसका उत्तर प्रस्तुत करने को समर्थ बनाने के लिए संसूचित करेगा।

(4) जब कथन अतिरिक्त कथन एवं उत्तर यदि कोई, स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के लिए उपधारा (3) के अधीन दाखिल किया गया है, यह ऐसे तरीके में आवेदन के पक्षकारों के बीच समझौता की कार्यवाही को संपादित करेगा जैसा कि यह विवाद की परिस्थितियों पर विचार करने पर यह समुचित सोचता है।

(5) स्थायी लोक अदालत उपधारा (4) के अधीन समझौता की कार्यवाहियों के संपादन के दौरान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके में विवाद के एक सौहार्दपूर्ण निर्धारण पर पहुँचने के लिए उनके प्रयास में पक्षकारों की सहायता करता है।

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का, आवेदन के सम्बन्ध में विवाद के समझौता में स्थायी लोक अदालत से सद्भाव में सहयोग करना एवं साक्ष्य को प्रस्तुत करना एवं इसके समक्ष अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, यह कर्त्तव्य होगा।

(7) जब एक स्थायी लोक अदालत उपरोक्त समझौता की कार्यवाहियों में इस राय का है कि ऐसी कार्यवाहियों में निर्धारण के तत्त्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकारणीय हो सकता है, यह विवाद के एक संभव निर्धारण की शर्तों को प्रतिपादित कर सकता है, एवं सम्बन्धित पक्षकारों को उनके प्रेक्षणों के लिए दे सकता है एवं यदि पक्षकारान विवाद के निर्धारण पर एक करार पर पहुँचते हैं, के निर्धारण करार पर हस्ताक्षर करेंगे एवं स्थायी लोक अदालत उनकी शर्तों में एक एवार्ड पारित करेगा एवं सम्बन्धित प्रत्येक पक्षकारों को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(8) जहाँ उपधारा (7) के अधीन एक करार पर पहुंचने में पक्षकारान असफल हो जाते हैं, स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से सम्बन्ध नहीं रखता है, विवाद को विनिश्चित करेगा।

22-घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया—स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन गुणावगुण पर एक विवाद को विनिश्चित करने या समझौता की कार्यवाहियों को संपादित करते वक्त नैसर्गिक न्याय, विषय पराणयता, पथ प्रदर्शित किया जावेगा एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 सन 1908) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 सन 1872) के अधीन बाध्य नहीं होगा)

22-ङ. स्थायी लोक अदालत का एवार्ड अंतिम होने का है—(1) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया गया प्रत्येक एवार्ड या तो गुणावगुण पर या निर्धारण करार की शर्तों में किया गया अंतिम होगा एवं उसके सभी पक्षकारों पर बाध्यतकारी होगा एवं उसके अधीन दावा करने वाले लोगों पर भी बाध्यकारी होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया गया एवार्ड सिविल न्यायालय की एक डिक्री होना समझा जावेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया गया एवार्ड स्थायी लोक अदालत को गठित करने वाले लोगों के एक बहुमत के द्वारा होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया गया प्रत्येक एवार्ड अंतिम होगा एवं किसी मूल वाद आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में कोई आपत्ति नहीं किया जावेगा।

(5) स्थायी लोक अदालत इसके द्वारा किए गए किसी एवार्ड को एक स्थानीय अधिकारिता वाले एक सिविल न्यायालय को संप्रेषित कर सकता है एवं ऐसा सिविल न्यायालय आदेश का निष्पादन करेगा जैसे कि यह उस न्यायालय के द्वारा की गयी एक डिक्री हो।

अध्याय VII

प्रकीर्ण

[1][**23. प्राधिकरण के स्टाफ एवं सदस्यगण कमेटी एवं लोक अदालतों के सदस्यगण एवं स्टाफ लोक कर्मचारीगण सदस्यगण होने को है**—सदस्यगण सदस्य सचिव सहित या जैसा भी

1. 29-10-1994 के प्रभाव से अधिनियम 59 सन् 1994 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department
Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur

:: NOTIFICATION ::

Raipur, Dated 26 November 2012

F.No. /3306 /XXI-B/C.G./12, - In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 22-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), State Government, in public interest, hereby, declares and includes the following services as public utility services for the purpose of Chapter VI-A of the said Act, namely:-

"(vii) services of banking and other financial institution,

(viii) supply of any kind of fuel to the public by any establishment."

:: अधिसूचना ::

क्र. /3306/21–ब/छ.ग./12 – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केंद्रीय अधिनियम, 1987 का सं. 39) की धारा 22–क के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय VI-क के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सेवाओं को जनोपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित तथा सम्मिलित करती है, अर्थात :–

"(vii) बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं,

(viii) किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए.के.सामंतराय)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Estd. 500

28/11/12

Notification

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
CHHATTISGARH BILASPUR (C.G.)
29 NOV 2012
1590 | (न्यायिक)
RECEIVED....................

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937

No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/ MAGHA 27, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-क के खंड (ख) के अनुसरण में, लोकहित में, निम्नलिखित सेवाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जन उपयोग सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

"(क) शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या

(ख) आवास और भू-संपदा सेवा ।"

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन. III (एलएपी)-जेयूएस)]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2016

S.O. 495(E).—In pursuance of clause (b) of section 22A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in the public interest, hereby declares the following services to be public utility services with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

"(a) education or educational institutions; or

(b) housing and real estate service".

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.III (LAP)-JUS]

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.

793 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ.सगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2007—पौष 25, शक 1928

OFFICE OF THE CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR

Bilaspur, the 11th January 2007

NOTIFICATION

No. 72/CGSLSA/PL/07.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 22B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), Chhattisgarh Legal Services Authority hereby establishes Permanent Lok Adalat having its headquarters shown in column No. (1) for the area Comprising as shown in column No. (2) in respect of Public Utility Services as defined in Section 22-A of the Legal Services Authority Act,- 1987.

S. No.	Name of the headquarter of Permanent Lok Adalat	Area Comprising of (Civil Districts)	
1.	Bilaspur	Civil District	1. Bilaspur 2. Korba 3. Janjgir-Champa
2.	Bastar (Jagdalpur)	Civil District	1. Bastar (Jagdalpur) 2. Uttar Bastar (Kanker) 3. Dakshin Bastar (Dantewada)
3.	Raipur	Civil District	1. Raipur 2. Mahasamund 3. Dhamtari

By order and in the name of the C. G. State Legal Services Authority,
GAUTAM CHOURDIYA, Member Secretary.

		(3)	(4)	(5)
		कलमा/26	76/1, 76/2	0.56
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	79	0.56
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	84	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	134	0.01
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	135/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	163	0.05
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	164	0.25
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	167/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	168	0.03
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	179/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	183/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	215	0.07
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	224/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	226	0.24
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	227	0.13
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	229/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कलमा/26	230	0.30
			योग	5.11

एस. सी. श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR
Vidhik Seva Marg, Bilaspur (C.G.)

Bilaspur, the 1st July 2011

No. F. N./515/I-4-1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), Chhattisgarh State Legal Services Authority, hereby establishes Permanent Lok Adalat having its headquarters, shown in column No. (1) for the area comprising as shown in column No. (2) in respect of Public Utility Services as defined is Section 22-A of the Legal Services Authority Act, 1987.

S. No. (1)	Name of the Headquarter of Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) (2)	Area Comprising of (Civil District) (3)
1.	Durg	Civil District - 1. Durg 2. Rajnandgaon 3. Kabirdham (Kawardha)
2.	Sarguja at Ambikapur	Civil District - 1. Sarguja at Ambikapur 2. Korea (Baikunthpur)

By order and in the name of the C.G. State Legal Services Authority,
A. K. SINGHAL, Member Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2015— आषाढ 15, शक 1937

OFFICE OF THE CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd July 2015

NOTIFICATION

No./1110/II-6-01/2007. --- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22B of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987), Chhattisgarh State Legal Services Authority hereby establish Link Court of Permanent Lok Adalat at Place shown in column No. 3 for the period shown in column No. 4 in respect of public utility services as defined in Section 22-A of the Legal Services Authority, 1987.

S. No	Name of the Headquarter of Permanent Lok Adalat	Place where Permanent Lok Adalat is established	Duration (In a Month)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bilaspur	Mungeli	03 days
		Korba	03 days
		Janjgir-Champa	03 days
2	Raipur	Dhamtari	05 days
		Mahasamund	05 days
		Balodabazar	03 days
3	Durg	Rajnandgaon	03 days
		Bond	03 days
		Bemetara	03 days
4	Surguja	Surajpur	03 days
		Korea	03 days

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Jagdalpur	Dantewada	03 days
		Kanker	03 days
		Kondagaon	03 days

Sd/-
(Rajnish Shrivastava)
Member Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015